फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

नवलाराम पुत्र तुलछाराम बनाम राज0 सरकार वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व अधिनियम संख्या 69/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2024	पत्रावली बाद जांच कार्यालय रिपोर्ट पश्चात उज्र मियाद/ उज्र एंतराज दर्ज रजिस्टर की गई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। उक्त अपील राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, जिला बालोतरा के द्वारा धारा 131, 132 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 33/2024 अनवान राज. सरकार बनाम नवलाराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 28.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उपस्थित अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया जिसके आधार पर अपीलान्ट की अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, जिला बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 33/2024 अनवान राज. सरकार बनाम नवलाराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 28.05.2024 में अपीलान्ट के अंकित ग्राम खीयोणों सारणों की ढाणी, तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 5/1 की रकबा भूमि की हद तक आंशिक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस को अपने खेत खसरान की रकबा भूमि में सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं वादग्रस्त खसरान भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिती में मौका जॉच करवाकर मौका रिपोर्ट तलब करने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में संशोधन की आवश्यकता हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उपरोक्त रास्ते को बन्द नहीं करें। पत्रावली इसी स्तर पर निर्णित होकर नम्बर से कम की जावें। संभागीय आयुक्त, जोधपुर	